



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39049

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 746/2026

श्रीमती भारती देवी

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 12 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: पंकज पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आजदिन के दौरान राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को रिट याचिका के पक्षकारों की सूची में प्रत्यर्थी संख्या 9 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पांडेय तथा राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
3. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गई है:

"i. माननीय सदस्य, राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या 2907/2025 एवं कम्प्यूटरीकृत संख्या एएल20250341002907 (भारती देवी बनाम उप जिलाधिकारी तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर नगर एवं अन्य) को जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष लंबित है, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अल्पावधि के भीतर निर्णीत करें।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की ओर से उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न दायर पुनरीक्षण दिनांक 22.06.2025 से प्रत्यर्थी संख्या 9, राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने कार्यवाही की आदेश पत्रक, जो वर्तमान याचिका में अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न है, यह दर्शाने हेतु प्रस्तुत की कि मामला शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहा है।
5. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका को अंततः निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 9/राजस्व परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद/प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त पुनरीक्षण को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः उनके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

20 फ़रवरी, 2026

मिनी